रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2012] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2013/भाद्र 5, 1935
No. 2012] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2013/BHADRA 5, 1935

IndiaCode

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2013

का.आ. 2615(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 में,—

(1) नियम 2 के खंड (घ), के उप-खंड 3 में पैरा 2, स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा;

(2) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''स्पष्टीकरण 4—चावल की सभी अधिसूचित किस्मों को बासमती चावल बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) के उपबंधों के अधीन बासमती चावल के रूप में अधिसूचित चावल की सभी किस्में बासमती चावल की किस्मों के रूप में मानी जाएंगी ।''

[फा. सं. 2/39/2012-निर्यात निरीक्षण]

ए. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में, संख्यांक का.आ. 68(अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन संख्यांक का.आ. 1139 तारीख 15 मई, 2004, संख्यांक का.आ. 716 तारीख 5 मार्च, 2005 और संख्यांक का. आ. 791(अ) तारीख 24 मई, 2006 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2013

S.O. 2615 (E).— In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2013.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003—

 (i) in rule 2, in sub-clause (d), in sub-clause (iii), paragraph 2, Explanation 1 and Explanation 2 shall be omitted;
 (ii) after Explanation 3, the following Explanation shall be inserted, namely :—

 "Explanation 4.—All varieties of rice notified as Basmati under the provisions of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) shall be considered as varieties of Basmati rice".

[F. No. 2/39/2012-Export Inspection]
ASIT TRIPATHY, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, vide number S.O. 68(E), dated the 23rd January, 2003 and subsequently amended vide number S.O. 1139, dated the 15th May, 2004, S.O. 716, dated the 5th March, 2005 and S.O. 791(E), dated the 24th May, 2006.

आदेश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2013

का.आ. 2616(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के (वाणिज्य विभाग) के आदेश संख्यांक का.आ. 67 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 में संशोधन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव बनाती है और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम 2 की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को प्रेषित किया है और उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों पर इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

कोई व्यक्ति जो उक्त प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहता है तो वह इन प्रस्तावों को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्, तीसरा तल, नई दिल्ली वाईएमसीए, कल्चरल सेंटर बिल्डिंग, 1, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001 को भेज सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्यांक का.आ. 67 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जो राजपत्र में अंतिम प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

इस आदेश में,-

(क) पैराग्राफ (3) के उप-पैरा (क) का लोप किया जाएगा,

(ख) पैराग्राफ (4) में निम्नलिखित, परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 481(अ) तारीख 25 जुलाई, 1991, संख्यांक का.आ. 482 (अ) तारीख 25 जुलाई, 1991 और संख्यांक का.आ. 929 (अ) तारीख 4 दिसम्बर, 1990 में स्वीकृत रियायतें यथावश्यक परिवर्तन सहित बासमती चावल के निर्यात को लागू होंगी";

(ग) पैराग्राफ (6) का लोप किया जाएगा;

(घ) अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

''अनुसूची''

क. भारतीय बासमती चावल के लिए मानक

श्रेणी	पकने से पूर्व न्यूनतम औसत लंबाई मि.मी. में	न्यूनतम एल/बी अनुपात	अधिकतम प्रतिशत नमी	अधिकतम क्षति-ग्रस्त बदरंग दाने प्रतिशत	अधिकतम सफेद दाने/ काली गिरियां %	अधिकतम टूटे और टुकड़े %	अधिकतम विजातीय पदार्थ %	अधिकतम अन्य दाने %	अधिकतम अन्य चावल किस्में %	अधिकतम कुटे हुए और लाल-धारी वाले दाने %	अधिकतम धान के दाने %	न्यूनतम विस्तारण का अनुपात	अधिकतम हरे दाने %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						मशीन कुटे							
विशेष	7.1	3.5	14	0.5	3	2	0.1	0.1	5	2.0	0.1	1.7	-
क	7.0	3.5	14	0.7	5	3	0.25	0.1	8	2.5	0.2	1.7	-
ख	6.61	3.5	14	1.0	7	5	0.4	0.2	15	3.5	0.3	1.7	-
						मशीन कुटे सेला							
विशेष	7.1	3.5	14	0.5	0.1	2	0.10	0.10	5	2.0	0.1	1.5	-
क	7.0	3.5	14	0.7	0.5	3	0.25	0.10	8	2.5	0.2	1.5	-
क	6.61	3.5	14	1.0	1.0	5	0.40	0.20	15	3.5	0.3	1.5	-
						भूरे							
विशेष	7.4	3.5	14	0.5	3	2	0.2	0.10	5	2.0	0.2	1.7	2.0
क	7.2	3.5	14	0.7	5	3	0.5	0.10	8	2.5	0.5	1.7	4.0
ख	6.81	3.5	14	1.0	7	5	1.00	0.20	15	3.5	0.8	1.7	6.0
						भूरे सेला							
विशेष	7.4	3.5	14	0.5	0.5	2	0.2	0.10	5	2.0	0.1	1.5	2.0
क	7.2	3.5	14	0.7	1.0	3	0.5	0.10	8	2.5	0.2	1.5	4.0
ख	6.81	3.5	14	1.0	2.0	5	1.00	0.20	15	3.5	0.3	1.5	6.0".

[फा. सं. 2/39/2012-निर्यात निरीक्षण]

ए. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

टिप्पण-मूल आदेश भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 67 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक 1881 तारीख 12 जुलाई, 2003 को संशोधित किया गया था ।

ORDER

New Delhi, the 27th August, 2013

S.O. 2616 (E) . —Whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government has formulated certain proposals for amending the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number. S.O. 67(E), dated the 23rd January, 2003, for the development of export trade of India, and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required undersub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 and is hereby published for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said proposals shall be taken into consideration on or after the expiry of the period of thirty days from the date of publication of this order in the Official Gazette.

IndiaCode

Any person desiring to make any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within the period specified above, to the Export Inspection Council of India, 3rd floor, New Delhi YMCA Cultural Centre Building, 1, Jai Singh Road, New Delhi-110001.

DRAFT PROPOSALS

In exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council, hereby makes the following further amendments to the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number S.O. 67 (E), dated the 23rd January 2003, which shall take effect on the date of publication of the final proposals in the Official Gazette, namely:-

1. In the said Order,-

(a) sub-paragraph (a) of paragraph (3) shall be omitted;

(b) in paragraph (4), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the relaxations granted by the Government of India , Ministry of Commerce notification number S.O. 481(E), dated the 25th July, 1991, number S.O. 482(E), dated the 25th July, 1991 and number S.O. 929 (E), dated the 4th December, 1990 shall mutatis mutandis apply to the export of Basmati Rice.";

(c) paragraph (6) shall be omitted;

(d) for the Schedule, the following schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE

A. STANDARDS FOR INDIAN BASMATI RICE

Grade	Min Average Pre-cook length in mm	Min L/B Ratio	Maximum Moisture content % age	Max. Damaged Discoloured Grain%	Max. Chalky Grain/ Black Kernels%	Max. Broken & Fragments %	Max. Foreign Matter %	Max. other Grain %	Max. other Rice varieties %	Max. under Miled & red stripped grain %	Max. Paddy Grain %	Min Elongation Ratio	Max. Green Grain %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Milled							
Special	7.1	3.5	14	0.5	3	2	0.1	0.1	5	2.0	0.1	1.7	-
A	7.0	3.5	14	0.7	5	3	0.25	0.1	8	2.5	0.2	1.7	-
B	6.61	3.5	14	1.0	7	5	0.4	0.2	15	3.5	0.3	1.7	-
						Milled Parboiled							
Special	7.1	3.5	14	0.5	0.1	2	0.10	0.10	5	2.0	0.1	1.5	-
A	7.0	3.5	14	0.7	0.5	3	0.25	0.10	8	2.5	0.2	1.5	-
B	6.61	3.5	14	1.0	1.0	5	0.40	0.20	15	3.5	0.3	1.5	-
						Brown							
Special	7.4	3.5	14	0.5	3	2	0.2	0.10	5	2.0	0.2	1.7	2.0
A	7.2	3.5	14	0.7	5	3	0.5	0.10	8	2.5	0.5	1.7	4.0
B	6.81	3.5	14	1.0	7	5	1.00	0.20	15	3.5	0.8	1.7	6.0
						Brown Parboiled							
Special	7.4	3.5	14	0.5	0.5	2	0.2	0.10	5	2.0	0.1	1.5	2.0
A	7.2	3.5	14	0.7	1.0	3	0.5	0.10	8	2.5	0.2	1.5	4.0
B	6.81	3.5	14	1.0	2.0	5	1.00	0.20	15	3.5	0.3	1.5	6.0"

[F. No. 2/39/2012-Export Inspection]

A. K. TRIPATHY, Jt. Secy.

Note. - The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 67(E), dated the 23rd January, 2003 and subsequently amended vide notification number S.O. 1881, dated the 12th July, 2003.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.